आज बुधवार २९ नवम्बर, २०१७ सौर १३ मार्गशीर्ष सं. २०७४ वि.

सुभाषित

शिवपर चढ़ा नैवेद्य खानेवाले व्यक्तिको चन्द्रायण व्रत करनेका फल मिलता है, जो मनुष्य ब्रह्म हत्याका दोषी हो वह शिव निर्माल्यको शरीरमें निर्धारण कर शिव नैवेद्य खाता है वह समस्त पापसे निवृत्त हो जाता है। ❒ *शिव पुराण*

राहत लाभसे वंचित

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) अभी विसंगतिमुक्त नहीं हुआ है। इसके निराकरणके लिए सतत प्रयास जारी है। पिछले दिनों २०० से अधिक वस्तुओंपर करकी दरोंमें कटौती की गयी थी। निकट भविष्यमें अभी सुधारके लिए और कदम उठाये जा सकते हैं। लेकिन आम उपभोक्ताओंको करमें राहतका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी शिकायतें अब भी मिल रही हैं। करोंमें छूटका लाभ निर्माता कम्पनियों और विक्रेताओंतक सिमट गया है। सरकारके लिए यह चिंताकी बात है, क्योंकि छूटका लाभ प्राप्त करनेसे उपभोक्ता वंचित हैं। इस प्रवृत्तिको रोकनेके लिए मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरणके गठनको केन्द्रीय मंत्रिमण्डलने स्वीकृति प्रदानकर दी है। चालू सप्ताहमें ही इसका गठन हो भी जायगा। केन्द्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधियाने सोमवारको स्पष्टत: चेतावनी दी है कि जो कंपनियां छूटका लाभ ग्राहकोंको नहीं देंगी उनके खिलाफ कड़ी काररवाई की जायगी। राजस्व विभागने राज्यकी एजेंसियोंको इस मामलेमें सतर्कता बढ़ानेको कहा है। दुर्भाग्यकी बात यह है कि कम्पनियां जानबूझकर अधिकतम खुदरा मूल्यमें करकी दरोंमें कमी नहीं कर रही हैं और इसका लाभ स्वयं उठा रही हैं। अधियाने बड़ी कम्पनियोंकी ऐसी हरकतोंपर त्वरित कानूनी काररवाई करनेकी बात कही है। राजस्व विभागने नवम्बरके अंततक राज्य एजेंसियोंको अद्यतन स्थितिकी रिपोर्ट भेजनेको कहा है। वस्तुत: करोंमें छूटका लाभ ग्राहकोंतक नहीं पहुंच पानेके प्रकरणोंमें अभीतक बड़ी कम्पनियों या दूकानदारोंके खिलाफ कड़ी काररवाई नहीं हो पायी है। राज्य सरकारोंका तंत्र सही ढंगसे काम नहीं कर पा रहा है। इसका दुष्परिणाम आम उपभोक्ताओंको भुगतना पड़ रहा है। जनतामें आक्रोश है कि करकी दरोंमें छूटका लाभ उन्हें क्यों नही मिल पा रहा है। ऐसी स्थितिमें बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारोंके तंत्रपर है। जीएसटी परिषदकी राहतकारी घोषणाओंको सही ढंगसे क्रियान्वित करनेके लिए सरकारी तंत्र जबतक सक्रिय नहीं होगा तबतक उसका लाभ आम जनताको नहीं मिल पायगा। इस मुद्देपर सरकार और उसके पूरे तंत्रको काफी सख्त होना पड़ेगा।

डाटा सुरक्षाकी ओर

आम नागरिकोंकी गोपनीय सूचनाओंके लीक होने अथवा अनुचित प्रयोगकी लगातार आ रही खबरके बाद केन्द्र सरकार निजी जानकारियोंको सुरक्षित करनेके लिए कानून बनानेकी ओर अग्रसर है। सोमवारको इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयने श्वेतपत्र जारी किया। निजताको लेकर आम लोगोंसे भी सुझाव मांगे गये हैं। ३१ दिसम्बरतक निजी जानकारियोंको सुरक्षित रखनेको लेकर कोई भी अपनी राय मंत्रालयको सौंप सकेगा। मंत्रालय सुझावोंपर गम्भीरतासे विचार करनेके बाद निजी जानकारीको सुरक्षित करनेके लिए कानून बनायेगा। अबतक आम लोगोंके आधारकार्डसे लेकर एटीएम और पैनकार्ड जैसे दस्तावेजोंकी गोपनीय सूचनाओंको विभिन्न एजेंसियोंसे खरीदकर विभिन्न बीमा कम्पनियोंके साथ ही अन्य लोगोंको बेच दिये जाते हैं। इससे निजी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। वर्तमानमें भारत सहित पूरी दुनियामें साइबर अपराध बढ़े हैं। साइबर अपराधी किसी भी देशकी सुरक्षा, वित्तसहित अन्य कई महत्वपूर्ण डाटा बेस जानकारियोंकी फाइल हैककर पूरी जानकारी चुरा लेते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए खतरा पैदा हो जाता है। साइबर अपराध करने वाले एकत्रित जानकारीको दुश्मन देशको भी बेच देते हैं। सूचनातंत्रमें लगातार हो रहे विस्तारवादी तकनीकका दुरुपयोग रोकनेके लिए ऐसे कानूनकी आवश्यकता है जो इस तरहके अपराधियोंमें भय पैदा करनेमें समर्थ हो सके। न्यायमूर्ति बी.एन. कृष्णा के नेतृत्ववाली समितिने माना है कि व्यक्तिके पहचान वाली निजी जानकारियां एवं डाटाकी सभी जानकारियां सुरक्षित रहनी चाहिए। अबतकके लचर कानूनसे कम्पनियोंने डाटा चोरीको व्यवसाय बना लिया। डाटा संरक्षणसे होनेवाले गोरखधंधेको सख्त कानूनसे ही नियंत्रित किया जा सकता है। केन्द्र सरकारको इस ओर गंभीरतासे विचारकर आम लोगोंके सुझावका समादर करते हुए ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे देशका आम नागरिक अपनी निजी जानकारीको सुरक्षित मान सके।

लोक संवाद

पक्षियोंका गायन प्रभावित

महोदय,–अकसर माना जाता है कि पक्षी अपने जीवनसाथीको लुभानेके लिए गाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकोंने पाया है कि पक्षियोंके सुरीले गायनपर कई खगोलीय और मौसमीय कारकोंका भी असर पड़ता है। हिमालयकी तलहटीमें विशेष रूपसे पाये जानेवाले काला पिद्दा (सेक्सिकोला कैप्राटा) नामक उष्णकटिबंधीय सुरीले पक्षीपर हरिद्वारके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयके जीव-विज्ञान और पर्यावरण-विज्ञान विभागके शोधकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययनमें यह रोचक तथ्य सामने आये हैं। अध्ययनकर्ताओंने पाया है कि वातावरण, तापमान, नमी, हवाके बहावकी दिशा एवं गति और वर्षा जैसे जलवायु कारकोंके साथ सूर्योदयका समय, दिनकी अवधि और चंद्रमाकी गतिविधियोंका संबंध भी सुरीले पक्षियोंके गायनसे होता है। नर पक्षियोंके गायन शुरू करनेके समय, गानेकी अवधि एवं उसकी लम्बाई और एक मिनटमें पक्षियों द्वारा निकाली जानेवाली विभिन्न ध्वनियों समेत पक्षियोंके गायन व्यवहारसे जुड़े विभिन्न तथ्योंका अध्ययन करनेके बाद शोधकर्ता इस नतीजेपर पहुंचे हैं। सुरीले पक्षी काला पिद्दापर वर्ष २०१५ में जनवरी एवं फरवरीके महीनोंमें यह अध्ययन उस वक्त किया गया जब भारतमें वसंत ऋतुकी शुरुआत होती है। नर काला पिद्दा पक्षी आम तौरपर जनवरीके अंतमें ही गायन शुरू करते हैं और फरवरीके पहले हफ्तेसे उनका गायन एक निश्चित अंतरालपर होने लगता है। अध्ययनकर्ताओंकी टीममें नवजीवन दड़वाल और दिनेश भट्ट शामिल थे। यह अध्ययन शोध पत्रिका करंट साइंसके जुलाई अंकमें प्रकाशित किया गया है। सुरीले पक्षियोंकी अधिकांश प्रजातियोंमें केवल नर पक्षी ही गाते हैं और प्रत्येक प्रजातिका अपना विशिष्ट स्वर और गायन शैली होती है। अध्ययन क्षेत्रसे कुल १२ नर पक्षियोंको चुना गया था। उनमेंसे छह पक्षियोंपर प्रतिदन सुबह नजर रखते हुए स्टॉप-वॉचकी मददसे उनके गायन शुरू करनेके समयको नोट किया जाता था और उनकी सुरीली ध्वनियोंको रिकार्ड किया जाता था। पक्षियोंकी पहचानके लिए उनके प्रजननके मौसमकी शुरुआतमें ही नर पक्षियोंमें प्लास्टिकके रंग-बिरंगे बैंड बांध दिये गये थे। पक्षियोंके गायनके समय विभिन्न जलवायु कारकोंके मापनके लिए मौसम स्टेशनसे प्राप्त आंकड़ोंका इस्तेमाल किया गया था। अध्ययनमें पाया गया है कि नर एवं मादा दोनों प्रकारके सुरीले पक्षियोंके गायनपर जलवायु कारकोंका असर होता है। सुरीले पक्षियोंके गायन और उनकी प्रजनन प्रक्रियामें भी संबंध पाया गया है। अध्ययनकर्ताओंके अनुसार पक्षियोंके प्रजननकी शुरुआतके मौसमका असर उनके गीत गानेपर भी पड़ता है। अध्ययनमें शामिल वैज्ञानिकोंके अनुसार तापमान, नमी और हवाकी गतिके कम या ज्यादा होनेसे पक्षियोंके गायनकी दर भी उसी अनुपातमें कम या ज्यादा हो जाती है। गानेवाले पक्षियोंमें मौसमके पूर्वानुमानको भांप लेनेकी एक अद्भुत क्षमता होती है। ध्यानसे सुना जाय तो मौसमके बदलनेसे सुरीले पक्षियोंके गीत गानेका अंदाज और गानेकी अवधि बदल जाती है। सुबहके समय और गोधूली बेलामें भी मौसमके खुशनुमा होनेसे पक्षियोंका सुर विशेष मधुरता लिये होता है। अध्ययनकर्ताओंके अनुसार चांदनीके प्रकाशका असर भी सुरीले पक्षियोंके गायनपर पड़ता है। पूर्णिमाके दिन पक्षियोंका गाना कम समयतक सुनाई देता है जबकि अमावस्याको पक्षी ज्यादा कलरव करते पाये गये। रातकी चांदनीमें मौसम ठंडा होने या हवाएं तेज चलनेके बाद सुबह पक्षियोंके गीत गानेकी दर बढ़ जाती है। पर्यावरणीय कारकोंके कारण सुरीले पक्षियोंके गायनपर पड़नेवाले प्रभावका यही असर उनकी प्रजनन क्रियापर भी पड़ता है। इस शोधको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वित्त-पोषित किया गया था।

-शुभ्रता मिश्र, वाया ईमेल।

कसौटीपर आसियानकी भूमिका

लाओसकी राजधानी वियनतियानेमें आसियान सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलनका पूरा फोकस आतंकवाद, क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी, वैश्विक कारोबार और आपसी विवादोंको निबटानेपर केन्द्रित रहा लेकिन सदस्य देशोंने ऐसा कोई साफ संदेश नहीं दिया जिससे सम्मेलनकी सफलतापर मंत्रमुग्ध हुआ जा सके।

❒ **अरविंद जयतिलक**

आसियान सम्मेलनके अंतमें जारी घोषणापत्रमें जरूर कहा गया गया है कि किसी भी आधारपर आतंकी कार्योंको उचित नहीं ठहराया जायगा। लेकिन सदस्य देशोंके बीच आतंकवादपर एका होगी इसमें संदेह है। सम्मेलनमें विकास और रोजगारमें वृद्धि, आर्थिक संरक्षणवादका विरोध, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थामें सुधार तथा पर्यावरणसे उत्पन्न समस्याओंपर गंभीरतासे विचार-विमर्शके साथ सभी सदस्य देशोंने समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती निरोधक एवं मानवीय तथा प्राकृतिक आपदा राहत जैसे महत्वपूर्ण मसलोंपर खुलकर चर्चा की गयी। गौर करें तो पिछले वर्ष मलयेशियाकी राजधानी कुआलालम्पुरमें आयोजित शिखर सम्मेलनमें भी इसी तरह संकल्प व्यक्त किया गया था। लेकिन यह सचाई है कि उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। अच्छी बात है कि इस सम्मेलनमें सदस्य देशोंने आसियानके प्रभावपूर्ण आर्थिक विस्तारके लिए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्रोंमें परस्पर सहायता सहयोग बढ़ाने और साझा व्यापार बाजारका वातावरण निर्मित करनेपर जोर दिया। आसियान और भारतने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादपर समग्र संधिका शीघ्र अनुमोदन करनेका समर्थन किया जिसके बारेमें अभी संयुक्त राष्ट्रसंघमें बातचीत चल रही है। भारत और आसियानके बीच मुक्त व्यापार समझौतेको अमलीजामा पहनानेपर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि वर्ष २०१५ में भारत और आसियानके बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है, जिसमें सुधार करनेकी कोशिश दोनों पक्षोंकी तरफसे हो रही है। दक्षिण कोरियाने आतंकवादपर अंकुश एवं समुद्री सुरक्षाको लेकर भारतसे चर्चा की और भारतके बुनियादी ढांचा विकासके लिए दस अरब डालरके वित्तीय पैकेज देनेका ऐलान भी किया।

भारत और जापानने संबंधोंको मजबूती देनेके लिए सहयोगसे जुड़े सभी मुद्दोंपर खुलकर चर्चा की। जापान एवं दक्षिण कोरियाके अलावा मोदीने लाओस और म्यांमारके नेताओंसे भी द्विपक्षीय वार्ता की। सम्मेलनसे इतर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाने एनएसजीमें भारतकी सदस्यताका भरोसा भी दिया। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने जी-२० मंचकी तरह आसियान मंचसे भी आतंकवादके मसलेपर पाकिस्तानको खूब खरी-खोटी सुनायी और कहा कि नफरतकी विचारधाराके जरिये लोगोंको कट्टरताकी तरफ मोड़ा जा रहा है। प्रधान मंत्रीने आसियान और भारतके संबंधोंको निरुपित करते हुए कहा कि आसियानके सदस्य देशोंके साथ भारतके प्राचीन समयसे ही व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और परंपरागत संबंध रहे हैं और आज जरूरत इसे नया आयाम देने की है। गौर करें तो आसियानके निर्माणका उद्देश्य ही दक्षिण-पूर्व एशियामें आर्थिक प्रगतिको गति देना और उसके आर्थिक स्थायित्वको बनाये रखते हुए आपसी विवादोंको शांतिपूर्ण ढंगसे निबटाना है। वर्तमानमें आसियान दुनियाका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक परिक्षेत्र है। इसके बढ़ते आर्थिक प्रभावका नतीजा है कि न केवल भारत, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशोंके साथ उसके संबंध प्रगाढ़ हैं, बल्कि विश्वके अनेक संघटनोंका भी उससे मजबूत संबंध हैं। वैश्विक आर्थिक रंगमंचपर आसियानकी भूमिका कितनी प्रभावी है इसीसे समझा जा सकता है कि विश्वके लगभग ४४ गैर आसियान देशों और संघटनोंने जकार्ता स्थित आसियानके सचिवालयमें अपने राजदूतोंकी नियुक्ति की है। आसियानका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि उसकी तुलनामें आज उत्तरी अमेरिका और यूरोपकी अर्थव्यवस्था धीमी गतिसे आगे बढ़ रही है वहीं पूर्वी यूरोप एवं रूसका आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है। दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीपमें आर्थिक स्थिरताका माहौल है। ऐसेमें यदि कहा जाय कि आज आर्थिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशियाके बजाय दक्षिण पूर्व एशिया बन गया है तो गलत नहीं होगा। माना जा रहा है कि है कि आनेवाले वर्षोंमें पूंजीनिवेशकी उपलब्धताके कारण यह क्षेत्र अति आधुनिकतम तकनीक एवं विज्ञानके क्षेत्रमें अग्रणी होगा। जहांतक भारतका सवाल है वह दक्षिण पूर्व एशियाकी ओर व्यापार, पूंजीनिवेश तकनीक, बाजारकी उपलब्धता, एवं आदान-प्रदानके रूपमें देखता है जो आजकी जरूरत है। वहीं बदलती हुई नयी विश्व व्यवस्थामें दक्षिण पूर्व एशियाके देश भी भारतकी ओर आर्थिक आदान-प्रदानकी दृष्टिसे देख रहे हैं। आज भारत आसियानके लिए छठा सबसे बड़ा करोबारी साझीदार बन चुका है। आंकड़ोंपर गौर करें तो २०१४-१५ में भारत-आसियानके बीच ७६.५२ अरब डालरका कारोबार हुआ। इसमें निर्यातका हिस्सा ३१.८१ अरब डालर तथा आयातका हिस्सा ४४.७१ है। आजकी तारीखमें भारतका आसियानके साथ व्यापार, भारतके विश्व व्यापारका लगभग दस फीसदी है। लेकिन यहां ध्यान देना होगा कि उस अनुपातमें आसियान भारतमें अपने विश्व व्यापारका सिर्फ दो फीसदी ही व्यापार करता है।

ऐसेमें भारतको व्यापारिक संतुलन स्थापित करनेके लिए सेवा क्षेत्रमें व्यापारके लिए ठोस पहल करनी चाहिए। लेकिन सचाई है कि आसियान देशोंका झुकाव पश्चिमी देशोंकी ओर अधिक है। गौर करें तो इंडोनेशियाके अलावा आसियानके अन्य सदस्य देश मसलन मलयेशिया, सिंगापुर, फिलिपीन एवं थाईलैंड पश्चिमी देशोंके साथ सुरक्षात्मक समझौतेसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिके अनेक मुद्दोंपर ही नहीं, बल्कि हिंदचीन मसलेपर भी पश्चिमी शक्तियोंका साथ दिया है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रही। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्यमें भारतकी भूमिका बढ़ी है। आज भारत दुनियाके सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओंमेंसे एक है और सभी क्षेत्रोंमें तेज गतिसे विकास कर रहा है। इससे प्रभावित होकर ही आसियान देशोंने जनवरी १९९२ में चार क्षेत्रोंमें 'क्षेत्रक वार्ताकार सहयोगी' और दिसंबर १९९५ में 'पूर्ण वार्ताकार सहयोगी' का दर्जा दिया। २३ जुलाई, १९९६ को भारत सामरिक दृष्टिकोणसे बनाये गये 'आसियान क्षेत्रीय मंच' (एआरएफ) का भी सदस्य बना। इसके अलावा आर्थिक सहयोगको क्रियान्वित करनेके लिए संस्थागत कार्यप्रारुप उपलब्ध करानेके उद्देश्यसे भारत एवं आसियानने ८ अक्तूबर, २००३ को कार्यप्रारुप समझौता अथवा व्यापाक आर्थिक समझौता यानी सीईसीएपर हस्ताक्षर किये। हालांकि भारत अभी 'एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग आयोग' एवं 'प्रशांत आर्थिक सहयोग आयोगका सदस्य नहीं है फिर भी आसियानका सहयोगी वार्ताकार एव 'आसियान क्षेत्रीय मंच' का सदस्य होनेसे इस क्षेत्रके सभी देशोंसे उसके संबंध मधुर हैं। भारत आसियान संबंधोंकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों पक्षोंके बीच बैंकाकमें १३ अगस्त २००९ को हुआ भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (एएफटीए) है जो १ जनवरी २०१० से लागू है।

इस समझौतेमें आपसी व्यापारकी लगभग ८० फीसदी वस्तुओं (कुल ४०००) पर व्यापार शुल्क न्यूनतम स्तरपर करनेपर सहमति हुई। समझौतेके प्रथम चरणमें वर्ष २०१३ से ३२०० वस्तुओं तथा वर्ष २०१६ तक शेष कुल ८०० वस्तुओंपर व्यापार शुल्क न्यूनतम किया जायगा। आसियानकी पृष्ठभूमिपर नजर डालें तो यह दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशोंका समूह है, जो आपसमें आर्थिक विकास एवं समृद्धिको बढ़ावा देने और क्षेत्रमें शांति तथा स्थिरता स्थापित करनेके लिए काम करते हैं। इसकी स्थापना ८ अगस्त, १९६७ को थाईलैंडकी राजधानी बैंकाकमें की गयी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर हैं। आसियान देशोंका कुल क्षेत्रफल ४.४४ मिलियन वर्ग किमी और सम्मिलित आबादी ६२५ मिलियन है जो कि विश्वकी कुल जनसंख्याकी ८.८ फीसदी है। आर्थिक मोर्चेपर आसियान देशोंका कुल सकल घरेलू उत्पाद २.३९ ट्रिलियन डालर है जो उच्चतर विकास मार्गपर अग्रसर है। इसकी सकल घरेलू उत्पादकी वृद्धि दर वर्ष २०१३ में ५.१ फीसदी रही जो २०१५ के अंततक ५.३ फीसदी होनेकी संभावना है। वर्ष २०१५ तक भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार सौ बिलियन डालर है और वर्ष २०२२ तक इसे दो सौ बिलियन डालरतक पहुंचानेका लक्ष्य है। मौजूदा समयमें आसियानके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आतंकवादपर काबू पाना है। इनमेंसे एक दक्षिण चीन सागर विवाद है जिसपर चीनने अपना दावा ठोंकते हुए यहां कई मानव निर्मित द्वीप बना चुका है। चीनकी इस हरकतसे मलयेशिया, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम असहज हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। आसियान देशोंको इस समस्याका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए। इसलिए और भी कि इस जलमार्गसे तकरीबन हर वर्ष पांच खरब डॉलरका व्यापार होता है। यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो आसियान देशोंमें कारोबारी माहौलको नुकसान पहुंचेगा।

ASEAN 50
PHILIPPINES 2017
PARTNERING FOR CHANGE, ENGAGING THE WORLD

मौजूदा समयमें आसियानके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आतंकवादपर काबू पाना और आपसी सहयोगसे क्षेत्रीय विवादोंको हल करते हुए क्षेत्रमें कारोबारी माहौल निर्मित करना है। लेकिन कुछ विवादोंको लेकर सदस्य देशोंके बीच संबंध तनावपूर्ण है। इनमेंसे एक दक्षिण चीन सागर विवाद है जिसपर चीन अपना दावा करते हुए यहां कई मानव निर्मित द्वीप बना चुका है। इसके अलावा वह यहां वायुसैनिक अड्डे और कई अन्य प्रतिष्ठानोंका भी निर्माण करा रहा है। चीनके इस कृत्यसे जैव विविधतासे भरपूर इस क्षेत्रका विनाश शुरू हो गया है और मूंगेकी चट्टानोंको नुकसान पहुंच रहा है। चीनकी इस हरकतसे मलयेशिया, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम असहज हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। आसियान देशोंको इस समस्याका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए।

देशका समावेशी संविधान

भारतको अपना संविधान आजादीके दो सालके भीतर ही मिल गया और आजतक हम उसी संविधानके अनुरुप प्रगतिके पथपर चल रहे हैं। देशकी विविधताको गति देते हुए राष्ट्र नेताओंने बेहतरीन समावेशी संविधान प्रदान किया।

❒ **डा. श्रीश पाठक**

संविधान किसी देशके शासन-प्रशासनके मूलभूत सिद्धांतों और संरचनाओंका दस्तावेज होते हैं, जिनसे उस देशकी राजनीतिक व्यवस्था संचालित-निर्देशित होती है। किसी राष्ट्रमें संविधानवादकी उपस्थिति। यदि किसी देशमें संचालित राजनीतिक संस्थाएं अपनी-अपनी मर्यादाएं समझते हुए कार्यरत हों तो समझा जायगा कि संविधानकी भौतिक अनुपस्थितिमें भी निश्चित ही वहां एक सशक्त संविधानवाद है। पाकिस्तान जैसे देशोंमें संविधानकी भौतिक उपस्थिति तो है किन्तु संविधानवादकी अनुपस्थिति है। संविधानवादकी परंपराएं पनपनेमें समय लगता है। देशकी जनताके अंदर राजनीतिक चेतना यूं विकसित हो कि वह अपने अधिकारोंके क्रियान्वयनके लिए आवश्यक राजनीतिक संस्थाओंके स्थापनाके लिए सजग होने लगे तो राजनीतिक विकासकी संभावना बनने लगती है। यह प्रक्रिया सहज ही एक सुदृढ़ सांविधानिक राजनीतिक व्यवस्थाको जन्म देती है जिसमें समाजके आखिरी नागरिकके अधिकारोंकी भी आश्वस्ति हो और वह देशकी व्यापक राजनीतिक संक्रियाओंसे जुड़ाव महसूस कर सके। यह सहज राजनीतिक विकास एशियाई देशोंमें ब्रिटिश उपनिवेशवादके अनुभवने अवरुद्ध कर दिया। उपनिवेशवादने उपस्थित राजनीतिक संरचनाओंको कमजोर और अप्रासंगिक होने दिया और उनके स्थानपर नये संवैधानिक सुधार उतने ही होने दिये जिससे उनका औपनिवेशिक शासन बना रहे। इसी अवस्थाके कारण सामान्य राजनीतिक चेतना और समयानुरूप राजनीतिक विकासका जो संबंध था वह दक्षिण एशियाके सभी देशोंमें भी छिन्न-भिन्न हो गया।

औपनिवेशिक दासतासे मुक्तिके बाद भी यह संबंध कुछ ठीक न हो सका और दक्षिण एशियाई देशोंमें प्राय: सैन्य विद्रोह, संविधान निर्माणकी प्रक्रियाका अवरुद्ध होना, लोकतांत्रिक परम्पराओंका निर्वहन न होना आदि संकट जब तब सुनायी पड़ते हैं। ऐसेमें देशके आम जनोंमें राजनीतिक उदासीनता दिखायी पड़ती है, जिसमें नागरिक मानता है कि राजनीतिसे सिर्फ नेताओंको लाभ होता है और राजनीतिसे आमोखासका कोई लाभ संभव नहीं है। उस महान राजनीतिक विश्वासका लोप हो जाता है, जिसमें नागरिक समझता है कि राजनीतिसे उसके जीवनमें कोई गुणात्मक सुधार संभव है। यह अविश्वास ही राजनीतिक सहभागिता न्यून करता है और फलत: देशकी राजनीति ऐसे लोगोंकी कठपुतली बननेको अभिशप्त हो जाती है जिनकी राष्ट्रीयता केवल स्वार्थ होती है। आम राजनीतिक सहभागिताकी न्यूनता पुनश्च राजनीतिक विकासको रोकती है और संविधानवाद प्रभावित होता है। देशका नागरिक समाज भी कोई निर्णायक गुणात्मक हस्तक्षेप करनेकी स्थितिमें नहीं रहता। पाकिस्तानको अपना पहला पूर्णकालिक संविधान १९७३ में ही जाकर मिल पाया। पाकिस्तानकी संविधान सभा जो कि अविभाजित भारतकी संविधान सभासे ही विभाजित होकर निर्मित थी और विभाजनके बाद उसे ही पाकिस्तानके लिए संविधान बनाना था। बंगलादेशको अपना संविधान १९७२ में मिला, श्रीलंकाको १९७८ में तो अफगानिस्तानको २००४ में ही संविधान मिल सका। भूटान और मालदीवको अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान २००८ में मिला। नेपाल अभी २०१५ के अपने नये संविधानके अनुसार पहला आम चुनाव करानेकी प्रक्रियामें है। पाकिस्तानको सैनिक शासन बार-बार सहना पड़ा, नेपालमें राजशाहीके खात्मेसे लेकर नये संविधानके बन जानेतक अनगिनत उठापटक झेलने पड़े, श्रीलंकामें लिट्टे विद्रोह और अफगानिस्तानमें आतंकवादका प्रकोप हुए।

अपवादस्वरूप भारतको ही अपना संविधान आजादीके दो सालके भीतर ही २६ नवंबर १९४९ को ही मिल गया और आजतक हम अपने उसी संविधानके अनुरूप देशको प्रगतिके पथपर लेकर चल रहे हैं। भारतकी विविधताको स्वर और उसके विकासको गति देना चुनौती तो थी परन्तु जन-जनपर अमिट प्रभाववाले राष्ट्र नेता देशको उपलब्ध थे जिन्होंने समयके प्रश्नका सामना किया और प्रत्युत्तरमें एक बेहतरीन समावेशी संविधान प्रदान किया। अफ्रीकाके अपने राजनीतिक प्रयोगोंसे प्रसिद्ध और भारतके आखिरी व्यक्तितककी पहुंचवाले महात्मा गांधीने जहां आनेवाले आजाद भारतके लिए संविधानकी आवश्यकतापर ध्यान आकृष्ट कराया वहीं, मोतीलाल नेहरूके नेतृत्वमें एक मसविदा तैयार भी कर लिया गया जिसके आधारपर ही जवाहरलाल नेहरूने आजके संविधानके ऑब्जेक्टिव रिजॉल्यूशन (उद्देश्य प्रस्ताव) की नींव रखी। अंबेडकर कानूनके बेहतरीन जानकार तो थे ही संयोगसे भारतीय समाजके एक बड़े हिस्से जो कि हाशियेपर था उसका नेतृत्व भी करते थे। देशकी नब्ज समझनेवाले गांधी भविष्यके भारतकी नींवमें समावेशी मूल्य सुरक्षित तो करना चाहते ही थे, देशहितमें उन्होने अंबेडकरजीकी प्रतिभाका लाभ संविधान निर्माण और उसके पश्चात बनी पहली आम सरकार जिसकी नये नवेले संविधानको जमीनपर उतारनेकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भूमिका निश्चित करवायी। पटेल जैसे सशक्त नेताने देशके नागरिकोंके लिए मूल अधिकारोंसे जुड़ी समितिकी अपनी भूमिकाका निर्वहन किया। भारत इन अर्थोंमें बेहद भाग्यशाली रहा कि स्वतंत्रताके पश्चात राष्ट्रनिर्माणके लिए उसके पास बेहतरीन राजनीतिक नेतृत्व उपलब्ध था। आज जबकि भारत देशमें राजनीति जनताके लिए कमोबेश मनोरंजनका एक समानांतर विकल्प बनकर रह गयी है, ऐसेमें विरासतमें मिले सुदृढ़ संविधानवादकी हमें रक्षा करनी चाहिए और राजनीतिक सहभागिताके लिए मौजूदा नागरिक समाजको अभिनव प्रयास करने चाहिए।

आत्मबोध

सुखद अनुभूति

जिन्दगीकी बुरी और दुखद घटनाओंको भूल जाना चाहिए क्योंकि वह आगे बढ़नेका रास्ता रोकती हैं। इन घटनाओंको याद रखकर हम सुखद कहानियोंको लिखनेका समय गंवा देते हैं। हर व्यक्ति जीवनमें आगे बढ़ना चाहता है। जिन्दगीमें आगे बढ़ते हुए अक्सर बीते दिनोंकी सुखद स्मृतियोंको साथ रखता है क्योंकि वह उसे आगे बढ़नेका हौंसला देती हैं और वह यह भी चाहता है कि बुरे दिनोंको वह भुला दे। दुखद घटनाओंको याद करना या उनका याद आना हमें गुस्से, घृणा, बदला, पश्चाताप और इसी तरहके नकारात्मक विचारोंसे भर देता है। इसलिए भूतकालमें घटी बुरी या दुखद घटनाओंसे सबक लेकर हमें आगेकी राह लेनी चाहिए। अक्सर लोग अपने अनुभवोंके आधारपर ही आगेकी राह तय करते हैं और यहीं उनसे गलती होती है। अक्सर जब व्यक्ति बीते समयकी दुखद घटनाओंके बारेमें सोचता है तो वह उन घटनाओंके असरको भी जीने लगता है। जब हम पिछले दिनों घटी हुई चीजोंके असरसे उबर जाते हैं तब हम अपने भीतर नये उत्साहको खोज पाते हैं। जिस तरह जख्मोंको भरनेमें समय लगता है उसी तरह हो चुकी चीजोंसे उबरनेमें भी समय लगता है। यदि व्यक्ति समयके साथ अपने घावोंको कुरेदता रहता है तो वह भर नहीं पाते हैं। इसी तरह पुरानी घटनाओंको बार-बार कुरेदना नहीं, भरने देना चाहिए। कुरेदकर हम उन्हें असहनीय बना देते हैं। अपने जीवनमें वर्कआऊट और ध्यानके लिए जगह बनाइये। इस तरह आप स्वास्थ्य और बीती बातोंको भुलानेकी दिशामें काम कर पायंगे। हमारा निष्क्रिय जीवन हमें बार-बार भूतकालमें लौटनेके लिए मजबूर करता है इसलिए जीवनमें सच बोलने, सचाईसे जीने, दूसरोंके प्रति विनम्र रहने और स्वार्थसे परे होकर काम करनेको अपनाना चाहिए। किसी भी क्लासमें शिक्षक और बच्चोंके बीच हर दिन नया ही होता है। हर दिन वह बीती बातोंको भूलकर आगे बढ़ते हैं और नया कुछ सीखते हैं। यदि शिक्षक यह मान ले कि कुछ बच्चे सीखेंगे और कुछ सीखेंगे ही नहीं तो वह अच्छेसे या कहें कि पूरे मनसे प्रयास नहीं कर पायगा। लेकिन वह इस तरहके पूर्वग्रहसे ग्रसित नहीं होता। हमें भी जिन्दगीको इसी तरह देखनेकी जरूरत है। तब हर दिन नया होगा और अपने आपमें सम्पूर्ण भी। *(आ.फी.)*

नशामुक्त समाजकी आवश्यकता

❒ **भारत डोगरा**

विभिन्न देशोंमें हुए अध्ययनोंमें सामने आया है कि ५० प्रतिशत या उससे अधिक यौन हिंसा एवं हमलोंमें शराब एवं नशीली दवाओंकी भूमिका रहती है। ऐंटोनिया ऐबी, टीना जवाकी एवं अन्य विशेषज्ञोंने 'ऐल्कॉहॉल एवं यौन हमले' शीर्षकसे अमेरिकाके 'नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐल्कॉहॉल अब्यूस ऐंड ऐल्कॉहॉलिज्म' के लिए एक अनुसंधान पत्र लिखा है, जिसमें उनका निष्कर्ष है कि 'हिंसक अपराधोंमें कमसे कम आधेमें हमला करनेवाले और हमलेके शिकारमेंसे एक या दोनों व्यक्ति शराबके नशेमें थे।' दरअसल नशेमें व्यक्तिको यह ध्यान नहीं रहता है कि उसके अनुचित व्यवहारके उसके एवं महिलाके लिए क्या परिणाम होंगे और उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि उसके लिए कैसा व्यवहार उचित है। नशेमें किये गये यौन हमलोंमें सामान्य यौन हमलोंकी अपेक्षा अधिक गंभीर चोट लगनेकी आशंका रहती है। मार्टिन एवं हमरके एक अन्य चर्चित रिसर्च पेपरमें बताया गया है कि अनेक पार्टियों एवं समारोहोंमें महिलाओंपर शराब पीनेके लिए दबाव बनाया जाता है ताकि उनके यौन शोषणमें आसानी हो।

अमेरिकी कालेजोंमें शराबसे जुड़ी समस्याओंपर गठित राष्ट्रीय कार्यदलने बताया कि वहां प्रतिवर्ष १४०० कालेज विद्यार्थी ऐल्कॉहॉलसे जुड़ी दुर्घटनाओंमें मर जाते हैं, पांच लाख जख्मी होते हैं और ७० हजार छात्राएं शराबके नशेसे जुड़े यौन हमलोंका शिकार होती हैं। इस विषयपर तेस्ता और लिविंगस्टोनके अध्ययनमें बताया गया है कि शराब एवं नशीली दवाओंकी भूमिकाके कारण बलात्कार एवं यौन हिंसाका शिकार बनी अनेक महिलाओंको ठीकसे पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ हुआ क्या है। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ नशीली दवाओंको शराब या किसी अन्य ड्रिंकमें मिलाकर महिलाओंको पिला दिया जाता है। इन दवाओंका प्रचलन भी हालके वर्षोंमें तेजीसे बढ़ा है। यह समस्या विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियोंमें अलग-अलग तरहकी हो सकती है। लिहाजा इनके अनुसार ही समझ बनानी चाहिए, परन्तु एक बात सामान्य तौरपर देखी जा रही है कि आधे या उससे भी ज्यादा यौन हमलोंमें हमलावर नशेमें होते हैं। इसे देखते हुए विभिन्न सावधानियोंका प्रचार-प्रसार जरूरी है। साथ ही शराबके उपभोगको कम करना भी बहुत जरूरी है।

गौरतलब है कि भारत और उसके पड़ोसी देशोंमें बमुश्किल पांच प्रतिशत महिलाएं ही शराब पीती हैं। (हालांकि बड़े शहरोंमें यह चलन तेजीसे बढ़ रहा है) पश्चिमी देशोंकी स्टडीमें सामने आया है कि ५० प्रतिशत पुरुष हमलावरोंने शराब पी होती है तो ३३ प्रतिशत हमलेकी शिकार महिलाओंने भी शराब पी होती है, जिसके कारण वह हमलेको रोक पानेमें असमर्थ होती हैं। दूसरी ओर भारत जैसे देशोंमें मुख्य भूमिका हमलावर पुरुषके नशेकी होती है क्योंकि यहां शराब पीनेवाली महिलाओंकी संख्या बहुत कम है इसलिए पश्चिमी देशोंके अध्ययनोंमें जहां महिलाओं द्वारा शराबका सेवन कम करनेपर जोर दिया गया है, भारतमें पुरुषोंके नशेको रोकनेकी जरूरत अधिक है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशोंकी पार्टियोंमें भी अब महिलाओंपर शराब पीनेके लिए दबाव बनाया जाता है और ऐसे कई मामले आये हैं जब महिला न कहनेकी या विरोध करनेकी स्थितिमें नहीं होती तो उसका यौन शोषण किया जाता है।

इससे जुड़ी एक अन्य समस्या यह है कि कुछ नशीली दवाओंको शराब या कोल्ड ड्रिंकमें मिला दिया जाता है। इन दवाओंका नाम 'डेट-रेप-ड्रग' है। इनका असर इतना अधिक होता है कि न केवल महिला यौन हमलेका विरोध नहीं कर पाती, बल्कि कई बार तो उसे होश ही तब आता है जब हमला हो रहा होता है या हो चुका होता है। कुछ पश्चिमी अध्ययनोंमें ऐसे रेपका प्रतिशत बहुत अधिक पाया गया है। हमारे देशमें यह अपराध अपेक्षाकृत आरंभिक स्थितिमें है, परन्तु छिटपुट समाचारोंसे पता चलता है कि ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं इसलिए समय रहते सचेत होकर इन समस्याओंको व्यापक होनेसे पहले ही रोक देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे खतरोंके प्रति महिलाओंको सावधान किया जाय। पार्टियोंमें उनपर शराब सेवनके लिए दबाव न बनाया जाय। पार्टियोंमें नशीली दवाओंके प्रवेशपर कड़ी रोक लगायी जाय और जहां नशीली दवाओंकी उपस्थिति पायी जाय वहां कड़ी काररवाई की जाय। परन्तु सबसे जरूरी यह है कि हर तरहके नशेको न्यूनतम करनेको एक जन-अभियानका रूप दिया जाय। पश्चिमी देशोंकी कॉलेज छात्राओंमें एक अन्य प्रवृत्ति 'ड्रंकोरेसिया' चल निकली है। छरहरापन बनाये रखनेके लिए वह बिना कुछ खाये शराब पीती हैं जो उनके लिए और भी हानिकारक सिद्ध होता है। इससे ऐल्कॉहॉल बहुत जल्दी खूनमें पहुंच जाता है। उधरके स्वास्थ्य एवं महिला संघटन अब महिलाओंको इन खतरोंसे बचानेके लिए सक्रिय हो रहे हैं। हमें भी इसको लेकर सजग हो जाना चाहिए।